ICSSR Sponsored
ISSN: 2319-9997
Journal of Nehru Gram Bharati University, 2025; Vol. 14 (II):392-399

समावेशी व्यवस्था के अन्तर्गत अध्ययनरत् श्रवण बाधित विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचियों का अध्ययन

संवर्त मिश्र एवं श्रवण कुमार

विशेष शिक्षा, शिक्षा–संकाय
नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय) प्रयागराज (उ0प्र0)

Received:18.10.2025 *Revised: 29.11.2025* *Accepted: 17.12.2025*

सारांश

प्रस्तुत लेख के माध्यम से ''समावेशी व्यवस्था के अन्तर्गत अध्ययनरत् श्रवण बाधित विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचियों'' का पता लगाया गया है। शोध कार्य में वर्णनात्मक अनुसंधान विधि के अन्तर्गत सर्वेक्षण अध्ययन विधि का चयन किया गया है। जनसंख्या के रूप में प्रयागराज, वाराणसी एवं लखनऊ जनपद के उच्च प्राथमिक स्तर के सामान्य विद्यालयों में समावेशी शैक्षिक व्यवस्था के अन्तर्गत अध्ययनरत श्रवण बाधित छात्र–छात्राओं को जनसंख्या माना गया है। प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता ने प्रयागराज, वाराणसी एवं लखनऊ जनपद के सामान्य विद्यालयों में समावेशी शैक्षिक व्यवस्था के अन्तर्गत कक्षा–8 में अध्ययनरत् 87 श्रवण बाधित छात्र–छात्राओं का चयन गुच्छ विधि से किया गया है। उपकरण के रूप में शैक्षिक रूचि प्रपत्र (कुलश्रेष्ठ, एस0पी0 1990) का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध में अध्ययन के लिए गुणात्मक विधि के अन्तर्गत प्रतिशत विश्लेषण किया गया। अध्ययन के निष्कर्ष– समावेशी शैक्षिक व्यवस्था में अध्ययनरत् अधिकांश विद्यार्थियों (लगभग 50:) की रुचि कृषि विषय में, लगभग 42: रुचि वाणिज्य विषय में, लगभग 51: रुचि चित्रकला एवं संस्कृति विषय में, लगभग 41: रुचि गृह विज्ञान विषय में, लगभग 41: रुचि मानवशास्त्र विषय में, लगभग 49: की रुचि विज्ञान विषय में तथा समावेशी शैक्षिक व्यवस्था में अध्ययनरत् अधिकांश विद्यार्थियों (लगभग 45:) की रुचि तकनीकी विषय में है अर्थात् समावेशी शैक्षिक व्यवस्था के अन्तर्गत अध्ययनरत् श्रवण बाधित विद्यार्थियों की कृषि, वाणिज्य, फाइन आर्ट, गृह विज्ञान, मानविकी, विज्ञान, तकनीकी एवं सम्पूर्ण शैक्षिक रुचि वाले अधिकांशत: औसत एवं औसत से ऊपर स्तर के है।

मुख्य शब्द– *उच्च प्राथमिक विद्यालय, समावेशी, श्रवण बाधित, छात्र–छात्राएँ, शैक्षिक रुचियाँ, कृषि, वाणिज्य, चित्रकला एवं संस्कृति, गृह विज्ञान, मानवशास्त्र, विज्ञान, तकनीकी विष*

प्रस्तावना–

आजादी के बाद से भारत में हुए शैक्षिक व्यवस्था का विकास इस बात की

पुष्टि करता है कि भारतीय शिक्षा ने विभिन्न क्षेत्रीय विविधताओं और भिन्न सीमाओं के बावजूद भी समावेशी शिक्षा के लिए उपकरण के रुप में कार्य किया है। समावेशी शिक्षा से हमारा तात्पर्य वैसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें सभी शिक्षार्थियों को बिना किसी भेद भाव के सीखने सिखाने के सामान अवसर मिले, परन्तु आज भी यह समावेशी शिक्षा उस मुकाम पर नहीं पहुँची है, जहाँ इसे पहुँचना चाहिए।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् यह स्वीकार किया गया कि शिक्षा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का अनिवार्य पक्ष है। अतः राष्ट्रीय विकास की कार्यसूची में शैक्षणिक सुधार को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। स्वतंत्र भारत में इस मंतव्य को गहराई से स्वीकार किया गया। यहाँ तक कि प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 45 में जो कि नीति निर्देशक तत्व के अन्तर्गत आता है, यह निर्धारित किया गया था कि राज्य 6–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य वंचित समूहों अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के विशेष शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का संवर्द्धन करेगा और सामाजिक न्याय एवं हर प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। सरकार की इन्हीं सद्इच्छाओं व भागीरथ प्रयासों के चलते देश की साक्षरता दर सन् 1951 के 18.33 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 74.04 प्रतिशत हो गई।

बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम– 2009 एक अप्रैल 2010 से लागू हो गया है। इस अधिनियम में दिव्यांगता वाले 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान के मानदंडों को भी आरटीई, अधिनियम–2009 की व्यवस्थाओं के अनुरूप बना दिया है। सर्वशिक्षा अभियान यह सुनिश्चित करता है कि विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे को, चाहे वह किसी प्रकार की दिव्यांगता से प्रभावित हो, उद्देश्यपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। इसलिए इस अभियान के अंतर्गत किसी को भी शिक्षा देने से इंकार करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब है कि विशेष आवश्यकताओं वाले किसी भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए और उसकी पढ़ाई ऐसे वातावरण में होनी चाहिए, जो उसकी सीख सकने की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

सर्वशिक्षा अभियान में विशिष्ट प्रस्ताव आने पर दिव्यांग बच्चे के लिए हर साल तीन हजार रूपये देने की व्यवस्था है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बनाई जाने वाली जिला योजना में तीन हजार रूपये में से एक हजार रूपये की राशि बच्चे को पढ़ाने के लिए बुलाये गए शिक्षक की सेवाओं के लिए रखी जाती है। समावेशी शिक्षा के लिए सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत जिन पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, वे हैं– बच्चों की पहचान, शिक्षा संबंधी औपचारिक मूल्यांकन, आवश्यकता के अनुरूप उचित शिक्षा की व्यवस्था, व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित शिक्षा योजना तैयार करना, सहायक और अन्य उपकरणों की व्यवस्था, शिक्षक

प्रशिक्षण, बाहरी शिक्षक की सहायता, अनुसंधान, निगरानी और मूल्यांकन तथा विशिष्ट आवश्यकताओं वाली लड़कियों पर विशेष ध्यान।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 में सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ति के लिए समावेशी शिक्षा लागू किया गया जिसमें सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने का अधिकार लागू किया गया। जिसका उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाये तथा उन्हें भी अधिकारपूर्ण जीवनयापन कर सके।

समावेशी शिक्षा को लागू हुए 13–14 वर्ष बीत जाने के बाद प्राथमिक विद्यालयों में दिव्यांगों के अनुसार संसाधन, वातावरण, शिक्षकों का शिक्षण दक्षता तथा अभिभावकों एवं समाज के लोगों का समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया है कि नहीं? इसका पता तभी लग सकता है जब वहाँ अध्ययनरत् विद्यार्थियों के शैक्षिक रुचियों, समायोजन क्षमता तथा उनकी शैक्षिक समस्याओं का पता लगाया जाए तथा उससे प्राप्त परिणामों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि क्या समावेशी शिक्षा के उद्देश्य एवं उसकी विशेषताएँ बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने में कारगर सिद्ध हुई है कि नहीं?

वहीं हमारे समाज में विशिष्ट विद्यार्थियों के अलग से विद्यालयों का निर्माण किया गया है जिससे दिव्यांग बच्चों को साक्षर बनाकर उन्हें सामान्य बच्चों की तरह जीवन यापन कर सकें तथा वे भी अपना अधिकार प्राप्त कर सके। अतः शोधकर्त्ता द्वारा वर्तमान में चल रही समावेशी शिक्षा एवं विशेष शैक्षिक व्यवस्था में अध्ययनरत् श्रवण बाधित विद्यालयों शैक्षिक रुचियों, समायोजन तथा उनकी शैक्षिक समस्याओं में अन्तर प्राप्त करने का उद्देश्य यह है कि क्या वर्तमान में दिव्यांगों के लिए चलायी गयी योजनाएँ श्रवण बाधित विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर रही है तथा दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने तथा उच्च जीवनयापन करने में सफल है कि नहीं?

समस्या कथन–

''समावेशी व्यवस्था के अन्तर्गत अध्ययनरत् श्रवण बाधित विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचियों का अध्ययन।''

अध्ययन का उद्देश्य–

1. समावेशी व्यवस्था के अन्तर्गत अध्ययनरत् श्रवण बाधित विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचियों का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पना–

उद्देश्यों के आधार पर निम्नलिखित शून्य परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया है–

1. समावेशी व्यवस्था के अन्तर्गत अध्ययनरत् श्रवण बाधित विद्यार्थियों की शैक्षिक

रुचियों एवं उसकी विमाओं में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

1.1 समावेशी व्यवस्था के अन्तर्गत अध्ययनरत् श्रवण बाधित विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचि की विमा कृषि विषय में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

1.2 समावेशी व्यवस्था के अन्तर्गत अध्ययनरत् श्रवण बाधित विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचि की विमा वाणिज्य विषय में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

1.3 समावेशी व्यवस्था के अन्तर्गत अध्ययनरत् श्रवण बाधित विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचि की विमा फाइन आर्ट विषय में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

1.4 समावेशी व्यवस्था के अन्तर्गत अध्ययनरत् श्रवण बाधित विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचि की विमा गृह विज्ञान विषय में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

1.5 समावेशी व्यवस्था के अन्तर्गत अध्ययनरत् श्रवण बाधित विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचि की विमा मानविकी विषय में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

1.6 समावेशी व्यवस्था के अन्तर्गत अध्ययनरत् श्रवण बाधित विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचि की विमा विज्ञान विषय में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध–विधि

शोध कार्य में वर्णनात्मक अनुसंधान विधि के अन्तर्गत सर्वेक्षण अध्ययन विधि का चयन किया गया है।

जनसंख्या–

जनसंख्या के रूप में प्रयागराज, वाराणसी एवं लखनऊ जनपद के उच्च प्राथमिक स्तर के सामान्य विद्यालयों में समावेशी शैक्षिक व्यवस्था के अन्तर्गत अध्ययनरत श्रवण बाधित छात्र–छात्राओं को जनसंख्या माना गया है।

न्यादर्श एवं न्यादर्श विधि–

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता ने प्रयागराज, वाराणसी एवं लखनऊ जनपद के सामान्य विद्यालयों के अन्तर्गत समावेशी शैक्षिक व्यवस्था के कक्षा–8 में अध्ययनरत् 87 श्रवण बाधित छात्र–छात्राओं का चयन गुच्छ विधि से किया गया है।

प्रयुक्त उपकरण–

शैक्षिक रूचि प्रपत्र (कुलश्रेष्ठ, एस0पी0 1990)

सांख्यिकी विधि–

प्रस्तुत शोध में अध्ययन के लिए गुणात्मक विधि के अन्तर्गत प्रतिशत विश्लेषण किया गया तथा सूत्र का प्रयोग किया गया है –

$$\text{वर्ग में व्यक्त प्रतिक्रिया का प्रतिशत} = \frac{\text{वर्ग में व्यक्त प्रतिक्रिया की संख्या}}{\text{कुल प्रतिक्रियाओं (व्यक्तियों) की संख्या}} \times 100$$

परिकल्पनाओं का परीक्षण–

उद्देश्य–1 समावेशी शैक्षिक व्यवस्था के अन्तर्गत अध्ययनरत् श्रवण बाधित विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचियों का अध्ययन –

तालिका–1

समावेशी शैक्षिक व्यवस्था के अन्तर्गत अध्ययनरत् श्रवण बाधित विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचियों का प्रतिशतीय विश्लेषण

क्र0 सं0	रुचि का स्तर	रुचि कारक						
		कृषि	वाणिज्य	चित्रकला एवं संस्कृति	गृह विज्ञान	मानव–शास्त्र	विज्ञान	तकनीकी
1.	उच्च (10–14)	15	12	10	18	15	17	20
		17.33%	13.33%	11.33%	20.67%	16.67%	20.00%	22.67%
2.	औसत से अधिक(6–9)	28	26	34	18	28	25	18
		32.33%	29.33%	39.33%	20.67%	32.00%	28.67%	20.67%
3.	औसत (4–5)	32	41	34	30	30	35	29
		37.00%	46.67%	39.33%	34.00%	34.67%	40.00%	33.33%
4.	औसत से कम (2–3)	9	5	6	19	10	5	15
		10.00%	5.33%	6.67%	21.33%	12.00%	6.00%	17.33%
5.	निम्न (0–1)	3	5	3	3	4	5	5
		3.33%	5.75%	3.33%	3.33%	4.67%	5.33%	6.00%
	योग	87	87	87	87	87	87	87

व्याख्या–

- **कृषि–** समावेशी शैक्षिक व्यवस्था के अन्तर्गत अध्ययनरत् कुल श्रवण बाधित विद्यार्थियों में से अधिकांश विद्यार्थी (17.33%+32.33%=49.66% लगभग 50%) कृषि विषय के अध्ययन के प्रति अपनी शैक्षिक रुचि सामान्य से उच्च एवं उच्चतम स्तर की प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी प्रकार 37.00% विद्यार्थी सामान्य स्तर की शैक्षिक रुचि एवं 13.33% विद्यार्थी सामान्य स्तर से कम की शैक्षिक रुचि प्रदर्शित कर रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समावेशी शैक्षिक व्यवस्था में अध्ययनरत्

अधिकांश विद्यार्थियों (लगभग 50%) की रुचि कृषि विषय में है।

- **वाणिज्य–** समावेशी शैक्षिक व्यवस्था के अन्तर्गत अध्ययनरत् कुल श्रवण बाधित विद्यार्थियों में से (13.33%+29.33%=42.66% लगभग 43%) विद्यार्थी वाणिज्य विषय के अध्ययन के प्रति अपनी शैक्षिक रुचि सामान्य से उच्च एवं उच्चतम स्तर की प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी प्रकार 46.67% विद्यार्थी सामान्य स्तर की शैक्षिक रुचि एवं 11.08% विद्यार्थी सामान्य स्तर से कम की शैक्षिक रुचि प्रदर्शित कर रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समावेशी शैक्षिक व्यवस्था में अध्ययनरत् अधिकांश विद्यार्थियों (लगभग 47%) की रुचि वाणिज्य विषय में औसत स्तर की है।

- **चित्रकला एवं संस्कृति–** समावेशी शैक्षिक व्यवस्था के अन्तर्गत अध्ययनरत् कुल श्रवण बाधित विद्यार्थियों में से अधिकांश विद्यार्थी (11.33%+39.33%=50.66% लगभग 51%) चित्रकला एवं संस्कृति विषय के अध्ययन के प्रति अपनी शैक्षिक रुचि सामान्य से उच्च एवं उच्चतम स्तर की प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी प्रकार 39. 33% विद्यार्थी सामान्य स्तर की शैक्षिक रुचि एवं 10.00% विद्यार्थी सामान्य स्तर से कम की शैक्षिक रुचि प्रदर्शित कर रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समावेशी शैक्षिक व्यवस्था में अध्ययनरत् अधिकांश विद्यार्थियों (लगभग 51%) की रुचि चित्रकला एवं संस्कृति विषय में है।

- **गृह विज्ञान–** समावेशी शैक्षिक व्यवस्था के अन्तर्गत अध्ययनरत् कुल श्रवण बाधित विद्यार्थियों में से अधिकांश विद्यार्थी (20.67%+20.67%=41.34% लगभग 41%) गृह विज्ञान विषय के अध्ययन के प्रति अपनी शैक्षिक रुचि सामान्य से उच्च एवं उच्चतम स्तर की प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी प्रकार 34.00% विद्यार्थी सामान्य स्तर की शैक्षिक रुचि एवं 24.66% विद्यार्थी सामान्य स्तर से कम की शैक्षिक रुचि प्रदर्शित कर रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समावेशी शैक्षिक व्यवस्था में अध्ययनरत् अधिकांश विद्यार्थियों (लगभग 41%) की रुचि गृह विज्ञान विषय में है।

- **मानवशास्त्र–** समावेशी शैक्षिक व्यवस्था के अन्तर्गत अध्ययनरत् कुल श्रवण बाधित विद्यार्थियों में से अधिकांश विद्यार्थी (16.67%+ 32.00%=48.67% लगभग 49%) मानवशास्त्र विषय के अध्ययन के प्रति अपनी शैक्षिक रुचि सामान्य से उच्च एवं उच्चतम स्तर की प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी प्रकार 34.67% विद्यार्थी सामान्य स्तर की शैक्षिक रुचि एवं 16.67% विद्यार्थी सामान्य स्तर से कम की शैक्षिक रुचि प्रदर्शित कर रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समावेशी शैक्षिक व्यवस्था में अध्ययनरत् अधिकांश विद्यार्थियों (लगभग 49%) की रुचि मानवशास्त्र विषय में है।

- **विज्ञान–** समावेशी शैक्षिक व्यवस्था के अन्तर्गत अध्ययनरत् कुल श्रवण बाधित विद्यार्थियों में से अधिकांश विद्यार्थी (20.00%+28.67%=48.67% लगभग 49%)

विज्ञान विषय के अध्ययन के प्रति अपनी शैक्षिक रुचि सामान्य से उच्च एवं उच्चतम स्तर की प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी प्रकार 40.00% विद्यार्थी सामान्य स्तर की शैक्षिक रुचि एवं 11.33% विद्यार्थी सामान्य स्तर से कम की शैक्षिक रुचि प्रदर्शित कर रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समावेशी शैक्षिक व्यवस्था में अध्ययनरत् अधिकांश विद्यार्थियों (लगभग 49%) की रुचि विज्ञान विषय में है।

- **तकनीकी–** समावेशी शैक्षिक व्यवस्था के अन्तर्गत अध्ययनरत् कुल श्रवण बाधित विद्यार्थियों में से अधिकांश विद्यार्थी (22.67%+20.67%=45.34% लगभग 45%) तकनीकी विषय के अध्ययन के प्रति अपनी शैक्षिक रुचि सामान्य से उच्च एवं उच्चतम स्तर की प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी प्रकार 33.33% विद्यार्थी सामान्य स्तर की शैक्षिक रुचि एवं 23.33% विद्यार्थी सामान्य स्तर से कम की शैक्षिक रुचि प्रदर्शित कर रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समावेशी शैक्षिक व्यवस्था में अध्ययनरत् अधिकांश विद्यार्थियों (लगभग 45%) की रुचि तकनीकी विषय में है।

परिणामतः स्पष्ट है कि समावेशी शैक्षिक व्यवस्था के अन्तर्गत श्रवण बाधित विद्यार्थियों में कृषि, वाणिज्य, चित्रकला एवं संस्कृति, गृह विज्ञान, मानवशास्त्र, विज्ञान तथा तकनीकी विषयों में रुचि औसत एवं औसत से अधिक सामान्य रूप से पाया गया।

निष्कर्ष–

समावेशी शैक्षिक व्यवस्था में अध्ययनरत् अधिकांश विद्यार्थियों (लगभग 50%) की रुचि कृषि विषय में, लगभग 42% रुचि वाणिज्य विषय में, लगभग 51% रुचि चित्रकला एवं संस्कृति विषय में, लगभग 41% रुचि गृह विज्ञान विषय में, लगभग 41% रुचि मानवशास्त्र विषय में, लगभग 49% की रुचि विज्ञान विषय में तथा समावेशी शैक्षिक व्यवस्था में अध्ययनरत् अधिकांश विद्यार्थियों (लगभग 45%) की रुचि तकनीकी विषय में है अर्थात् समावेशी शैक्षिक व्यवस्था के अन्तर्गत अध्ययनरत् श्रवण बाधित विद्यार्थियों की कृषि, वाणिज्य, फाइन आर्ट, गृह विज्ञान, मानविकी, विज्ञान, तकनीकी एवं सम्पूर्ण शैक्षिक रुचि वाले अधिकांशतः औसत एवं औसत से ऊपर स्तर के है।

शैक्षिक निहितार्थ–

किसी भी कार्य का महत्व उसकी उपयोगिता में निहित होता है। किसी कार्य या परिणाम की जितनी अधिक उपादेयता होगी वह उतना ही महत्वपूर्ण होगा।

भारत सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा तो शुरू की गयी है लेकिन दिव्यांग बच्चों के लिए सामान्य प्राथमिक विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के लिए संसाधनों की पूर्ति नहीं हो पा रही है वहीं विशेष शिक्षकों की कमी सबसे बड़ा कारक है जिससे वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में दिव्यांग बच्चों के लिए शुरू की

गयी समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक रुचियों में वृद्धि नहीं हो पा रही है वहीं उनके समायोजन क्षमता में वृद्धि इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि सामान्य विद्यार्थियों के साथ श्रवण बाधित विद्यार्थी अपने आपको समायोजित करने में अक्षम पा रहे हैं वहीं समावेशी सम्बन्धी सामान्य विद्यालयों में श्रवण बाधित विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याएँ इतनी अधिक है कि जिस उद्देश्य से समावेशी शिक्षा लागू की गयी उसका निराकरण करने की और अधिक आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- अग्रवाल, पूनम (2016). समावेशी शिक्षा एवं शिक्षक, *इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन एण्ड एप्लाइड रिसर्च,* 61(1).1, जून 2016, पृ0 127–128
- कुमार, अंकित (2019). इलाहाबाद जनपद में स्थित विशेष तथा समावेशी विद्यालयों में अध्ययनरत् श्रवण बाधित विद्यार्थियों के शैक्षिक सहभागिता का तुलनात्मक अध्ययन, लघु शोध प्रबन्ध, नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज।
- कुमारी, शारदा (2015). अध्यापकों की भाषायी निष्ठुरता और समावेशी शिक्षा, भारतीय आधुनिक शिक्षा, वर्ष–36, अंक–1, पृ0 79–88
- दहिया, गीता (2017). विशिष्ट बालक एवं समावेशी शिक्षा, नेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिस्पलनरी रिसर्च एण्ड डेवेलपमेण्ट, 2(3), सितम्बर 2017, पृ0 586–587।
- पाठक, कृष्ण कुमार (2015). समावेशी शिक्षा–एक नजर, गोल्डेन रिसर्च थॉट, 4(10), अप्रैल 2015, पृ0 1–5।
- यादव, अजीत कुमार (2018). असमर्थों एवं दिव्यांगों के सशक्तीकरण में समावेशी शिक्षा की भूमिका, इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस रिसर्च एण्ड डेवेलपमेण्ट, 3(2), पृ0 159–161यादव, अजीत कुमार (2018). असमर्थों एवं दिव्यांगों के सशक्तीकरण में समावेशी शिक्षा की भूमिका, इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस रिसर्च एण्ड डेवेलपमेण्ट, 3(2), पृ0 159–161
- व्यास, सिद्धि (2015). शैक्षिक अधिकार और शिक्षण की चुनौतियाँ : समावेशन और उसका तरीका, लर्निंग कर्वे, नवम्बर 2015, पृ0 90–94
- शर्मा, मोनिका (2022). उच्च प्राथमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा में आई.सी.टी. के प्रभाव का अध्ययन–कोविड–19 के परिदृश्य में अध्ययन, लघु शोध प्रबन्ध, नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज।
- सक्सेना, नवनीत एवं कुमार, संजीव (2016). समावेशी शिक्षा हेतु अध्यापक तैयार करना, इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ एजूकेशन एण्ड एप्लाइड रिसर्च, 6(1).1, पृ0 123–124
- सरिता, कुशवाहा (2021). वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समावेशी शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, लघु शोध प्रबन्ध, नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज।

Disclaimer/Publisher's Note:

The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of JNGBU and/or the editor(s). JNGBU and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.